न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0 पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 84/2024

अगवान :

रामेश्वरलाल पुत्र हरिगिर जाति गुसांई निवासी रामपुरा तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. हरिगिर पुत्र नोपगिर जाति गुसांई निवासी रामपुरा तहसील भादरा।
2. छगनलाल पुत्र हरिगिर जाति गुसांई निवासी रामपुरा तहसील भादरा।
3. सरबती पुत्री हरिगिर जाति गुसांई निवासी रामपुरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. जैतादेवी पत्नी हरिगिर जाति गुसांई निवासी रामपुरा तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामपुरा के वर्तमान खाता सं0 119/113 के ख0सं0 85/4 की 10.8250 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 हरिगिर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हरिगिर अकेले की बजाय वादी रामेश्वरलाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 हरिगिर तथा प्रतिवादी संख्या 2 छगनलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है । चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 तथा 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करं रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। वादभूमि में पूर्व में दर्ज गे0मु0 खाला, रास्ता तथा भूमि की किस्म यथावत रहेगी। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

(हस्ताक्षर) 14-08-24

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.27 10:38:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner